अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

पूर्वाधिकार पुनरीक्षण वाद संख्या 496 / 2012

ब्रज नारायण यादव —— अपीलार्थी

वनाम

शिवनन्दन मंडल, अन्य एवं राज्य —— प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत पुर्वाधिकार पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा पूर्वाधिकार अपील वाद संख्या 17 / 02 ब्रज नारायण यादव बनाम शिवनारायण मंडल वगैरह में दिनाक 31.01.12 एवं विविध पुनर्जीवित वाद संख्या 50 / 2012 ब्रज नारायण यादव बनाम शिवनारायण मंडल वगैरह में दिनांक 09.10.2012 में पारित आदेश के विरूद्ध ब्रज नारायण यादव पिता श्री धिनाय यादव, ग्राम– गोठ बरूआरी, टोला– मोहनिया, थाना– जिला सुपौल द्वारा दायर किया गया है।

प्रस्तुत अपील वाद में अपीलार्थी का कथन है कि उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल के न्यायालय में दायर पूर्वाधिकार वाद संख्या 09 / 2001 में दिनांक 27.05.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता–सह–जिलाधिकारी, सुपौल के समक्ष पूर्वाधिकार अपील वाद संख्या 17 / 2002 दायर किया गया था जिसे दिनांक 31.01.2012 को विद्वान समाहर्त्ता–सह–जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा उक्त वाद को खारिज कर दिया गया। उनके द्वारा उक्त वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध पुनर्जीवित वाद संख्या 50 / 12 दायर किया गया जिसे दिनांक 09.10.12 को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त वाद को रद्द करने हेतु यह वाद इस न्यायालय में दायर किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि निम्नन्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय अवैधानिक है और वाद के तथ्यों से परे है।

यह कि निचली अदालत में वाद को खारिज करने के लिए बैधानिक तथ्यों का अनुसरण नहीं किया गया है।

यह कि निम्नन्यायालय ने यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया है।

यह कि समाहर्त्ता–सह–जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा नियमित रूप से वाद की सुनवाई नहीं की थी।

यह कि निम्नन्यायालय द्वारा विधि के आवश्यक प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय दिया गया है।

यह कि वादी के अधिवक्ता का निम्नन्यायालय में मौजदगी के बावजूद अपील वाद को केवल हाजिर न देने के आधार पर खारिज किया गया है।

यह कि दिनांक 09.10.2012 के अभिलेख को देखने से सयह स्पष्ट होगा कि विद्वान समाहर्त्ता द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा वाद के ग्रहण विन्दु पर विचार के समय में अधिवक्ता की

मौजुदगी थी परन्तु वांछित हाजिरी नहीं दी गयी थी।

यह कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समाहर्त्ता–सह–जिलाधिकारी, सुपौल के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का सुना। संबंधित अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया। यह पाया कि समाहर्त्ता–सह–जिलाधिकारी, सुपौल के न्यायालय में दायर पुर्वाधिकार अपील वाद संख्या 17/2002 ब्रज नारायण यादव बनाम शिव नारायण मंडल वगैरह में पारित आदे T में यह अंकित किया गया है कि –

"The Petition is absent on call. He has remained abscent on 30-01-10 and 19-07-10 specifically and on other dates as well. "

विविध पुनर्जीवित वाद संख्या 50/2012 ब्रज नारायण यादव बनाम शिवनारायण मंडल वगैरह में दिनांक 09.10.12 को समाहर्त्ता–सह– जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश में यह अंकित किया गया है कि–

''आवेदक अनुपस्थित पाये गये। आवेदक की ओर से अधिवक्ता हैं परन्तु कोई उपस्थिति नहीं दी गयी है। आवेदन वाद को पुनर्जीवित करने से संबंधित है फिर भी वादी को कोई रूचि नहीं है अतः आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है''।

इस न्यायालय में दायर वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 31.05.2013 को अपीलार्थी अनुपस्थित थे तथा दूसरी निर्धारित तिथि 19.07.2013 को भी अपीलार्थी की ओर से उपस्थिति नहीं दी गयी परन्तु पुकार पर उपस्थित पाये गये।

अपीलार्थी को इस न्यायालय में भी पुर्वाधिकार पुनरीक्षण वाद में कोई रूचि नहीं है। अपीलवाद को स्वीकार करने हेतु समुचित आधार भी नहीं है अतएव इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इसके साथ ही अपीलवाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा